



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230431
CG-DL-E-16102021-230431

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3901]
No. 3901]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ ASVINA 22, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4248(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3783 दिनांक 01.12.2020 का.आ. 4292(अ) दिनांक 26.11.2020 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य की तहसील- वडोदरा, की भूमि में गुजरात राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) तक पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए आई.एच.बी.लि. द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 24/03/2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विविर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी.लि.में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी.लि. पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची				
तालुका - बडोदरा	जिला - बडोदरा	राज्य - गुजरात		
गांव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सांकरदा	593	00	08	94
	594	00	00	87
	600	00	06	10
	601	00	03	15
	603	00	11	97
	598	00	00	22
	605	00	09	79
	613	00	06	76
	612	00	00	62
	611	00	06	94
	610	00	00	04
	609	00	03	01
	629	00	05	57
	628	00	09	69
	637	00	18	09
	638	00	11	14
	639	00	06	11
	640	00	01	93
	636	00	06	16
	644	00	06	54
	645	00	11	01

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4248(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 3783 date : 01/12/2020 S.O No. 4292(E) date 26/11/2020 part-II,Section-3,Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user In the land situated in Tehsil - Vadodara District - Vadodara in Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum Product from Kandla in the State Gujarat to Gorakhpur in the state Uttar Pradesh by the IHB Limited for implementing the “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project”

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24/03/2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the central Government after Considering the report and on being satisfied that The said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein; Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances .

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE				
TALUKA- VADODARA	DISTRICT-VADODARA	STATE-GUJARAT		
Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sankarda	593	00	08	94
	594	00	00	87
	600	00	06	10
	601	00	03	15
	603	00	11	97
	598	00	00	22
	605	00	09	79
	613	00	06	76
	612	00	00	62
	611	00	06	94
	610	00	00	04
	609	00	03	01
	629	00	05	57
	628	00	09	69
	637	00	18	09
	638	00	11	14
	639	00	06	11
	640	00	01	93
	636	00	06	16
	644	00	06	54
	645	00	11	01

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.